



राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, प्रतापगढ आगार

हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, प्रतापगढ (राज.) 312005

Mobile Number : 9549653330

E-Mail Address- rsrtc.emptg@gmail.com

कमांक:- मु0प्र0/प्रताप./वित्त /2025/174

दिनांक:- 14.07.2025

UBN for bid document is RTC2526SSOB00282

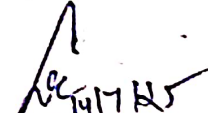
—: निविदा सूचना :—

निगम के अधिनस्थ केन्द्रिय बस स्टैण्ड प्रतापगढ पर निम्नलिखित दुकान/स्टाल हेतु लाईसेन्सी नियुक्त किया जाना है

स्टाल कमांक	दुकान/स्टाल की प्रकृति	स्थान	साईज	धरोहर राशि
(1)	चाय काफी नमकीन बिस्कीट रेस्टोरेन्ट	निर्मित 1 No., केन्द्रिय बस स्टैण्ड प्रतापगढ	6×9	20,000
(2)	फ्रूट/फ्रूट ज्यूस/कोल्ड ड्रिंक्स सेन्टर	निर्मित 2 No. केन्द्रिय बस स्टैण्ड प्रतापगढ	6×9	20,000
(3)	मोबाईल/मोबाईल रिपेयरींग /मोबाईल स्पेयर पार्ट्स	निर्मित 3 No. केन्द्रिय बस स्टैण्ड प्रतापगढ	6×9	20,000
(4)	जनरल स्टोर /मनीहारी	निर्मित 4 No. केन्द्रिय बस स्टैण्ड प्रतापगढ	6×9	20,000

निविदा प्रपत्र एवं निविदा शर्तों का प्रारूप प्रपत्र निर्धारित राशि 200/- रुपये नगद जमा करवाकर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकेंगे। आवेदन हेतु निविदा प्रपत्र दिनांक 21.07.2025 तक 14:00 बजे तक प्राप्त किये जा सकेंगे। भरे हुए निविदा प्रपत्र उसी दिनांक 14:00 बजे तक लिये जायेगे। प्राप्त निविदाएं उसी दिनांक को दिन में 15:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी निविदा प्रपत्र में साथ निर्धारित धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करानी होगी।

अनुमानित लागत - 480000


मुख्य प्रबन्धक
प्रतापगढ आगार

21

परिशिष्ट-2

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।

राजस्थान परिवहन निगम के बस स्टैण्ड पर स्टॉल/बूथ आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र (यह प्रपत्र अहस्तांतरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया जावे उसी के प्रयोजनार्थ है)
निविदा प्रपत्र संख्या एफ/मु.प्र./.../2007/
दिनांक:

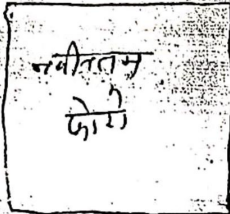
निविदा प्रपत्र की राशि

जमा रूपये

अक्षरे.....रूपये मात्र

नकद/रसीद संख्या

दिनांक



1. फर्म/व्यक्ति का नाम व पता : मुख्य प्रबन्धक आगार
2. टेलीफोन नम्बर : कार्यालय
3. टेलेक्स/फेक्स नम्बर : निवास
4. व्यावसायिक अनुभव व उसका विवरण :
5. धरोहर राशि :
6. धरोहर राशि का निगम कोष में राशि जमा रसीद सं./ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक नम्बर दिनांक :
7. देय लाईसेंस शुल्क राशि रूपये : राशि प्रति माह रूपये शब्दों में
8. निगम में अन्य स्टैण्ड पर पूर्व में स्टाल/बूथ का आवंटन हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण :
9. निविदादाता का बैंक अकाउन्ट किस बैंक में है, नम्बर सहित दर्शाये। :
10. निविदादाता की चल व अचल सम्पत्ति का विवरण सत्यापित प्रति सहित। :
11. अन्य विवरण :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पद/हेसियत/मोहर सहित

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर

घोषणा पत्र

निविदादाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है।

1. मैं/हम निगम कोष में जमा रसीद संख्या/ डी.डी. संख्या/बैंकर्स चैक संख्या _____ दिनांक _____ राशि _____ रूपये _____ जो कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नाम देय है, सलग्न कर रहे है/कर दिया है।
2. मैं/हमने निगम की समस्त शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी शर्तों की पालना का वचन देता हूँ/देते हैं। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/ हम निगम के साथ लाईसेंसी आधार पर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर कर दूँगी/देगें।
3. मैं/हम घोषणा करता/करते हैं कि मैंने/हमने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उसमें किसी अन्य संस्थान को कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्थान की तरफ से नहीं दिये गये हैं।

दिनांक:

हस्ताक्षर निविदादाता मय
पद/हेसियत व मोहर सहित

परिशिष्ट-दो का भाग

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

निविदा शर्तें

निविदा शुल्क - रुपये मात्र

निविदा दिनांक

निविदा प्राप्ति समय

निविदा खोलने का समय

कैटीन/स्टाल/बूथ के आवंटन/ संचालन की निविदा शर्तें निम्न हैं:-

- 1- निगम परिसर में दुकान/स्टाल/खाली स्थान अस्थाई लाईसेंस पर प्रथमतः एक वर्ष के लिए दी जावेगी। एक वर्ष की अवधि समाप्ति पर लाईसेंसी के विरुद्ध कोई शर्षि बकाया नही होने/सन्तोषजनक सेवायें रहने पर लाईसेंस फीस में 10 प्रतिशत चक्रवृत्ति दर से वृद्धि करते हुए नवीनीकरण किया जा सकेगा। जिन स्टालों की मासिक लाईसेंस फीस 50,000/- रुपये से कम है, उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम तीन वर्ष तक व जिन स्टालों के मासिक लाईसेंस फीस 50,000/- रुपये अथवा उससे अधिक होने पर उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम पांच वर्ष तक की अवधि के लिए किया जा सकेगा। उक्त लाईसेंस अवधि समाप्ति के दो माह पूर्व पुनः खुली निविदा आमंत्रित कर नये उच्चतम निविदादाता को दिशा-निर्देशानुसार समय पर स्टाल आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुज्ञा की अवधि समाप्ति पर लाईसेंसी द्वारा स्वतः ही बिना सूचना/नोटिस प्राप्त हुए निगम को दुकान/स्टाल/बूथ खाली कर कब्जा सम्भलाना पडेगा। लाईसेंसी द्वारा किसी न्यायालय में निगम के विरुद्ध वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।
- 2- लाईसेंस पर दुकान/स्टाल/बूथ /खाली स्थान लेने हेतु लाईसेंसी को एक सौ रुपये के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर निर्धारित शर्तों के अनुरूप लिखित में अनुबन्ध करना होगा।
- 3- लाईसेंस पर दी गई दुकान/स्टाल/बूथ पर व्यवसाय करने हेतु केवल नीचे दी गई सामाग्री का ही बेचान किया जा सकेगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामान का बेचान नही किया जावेगा :-
 - 1.
 - 2.
 - 3.

- 4- निविदा पत्र के साथ धरोहर राशि 20,000 /- रुपये (आठे बीहठरु रूपी मात्र) का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / नगद जमा की रसीद सलग करनी होगी। लाईसेंस आवंटित होने पर लाईसेंसी को दस दिवस में तीन माह की लाईसेंस फीस के बराबर सुरक्षा राशि की डी.डी. / बैंकर्स चैक / नगद निगम कोष में जमा करानी होगी। उक्त धरोहर एवं सुरक्षा राशि बिना ब्याज के लाईसेंस अवधि समाप्ति तक निगम कोष में जमा रहेगी। लाईसेंसी द्वारा लाईसेंस जारी होने के तीस दिवस के अन्दर व्यवसाय आरम्भ नहीं करने पर धरोहर एवं सुरक्षा राशि जब्त कर लाईसेंस रद्द कर दिया जावेगा व द्वितीय उच्चतम निविदादाता को अथवा पुनः निविदा कर लाईसेंस आवंटन किया जा सकेगा।
- 5- निगम को अनुबन्ध समाप्ति दिनांक से पूर्व आवंटित दुकान/स्टाल/खाली स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेंसी को 24 घन्टे के अन्दर अपने स्वयं के खर्चे पर पुरानी जगह से सामान उठाकर वैकल्पिक अन्य नये स्थान पर ले जावेगा। वैकल्पिक अन्य स्थान की उपलब्धता एवं उसकी व्यवसायिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए उसकी नवीन लाईसेंस दरों के प्रस्ताव आगार स्तरीय समिति द्वारा तैयार किये जात्रे एवं उसका अनुमोदन जौन के महा प्रबन्धक के स्तर से किया जावेगा जब भी लाईसेंसधारी को पूर्व स्थान से शिफ्ट करना हो तो पहले नियमानुसार उसका लाईसेंस निरस्त किया जावेगा तथा नये स्थान पर आवंटन के लिए पूर्व ऐसे लाईसेंसधारी को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि नवीन लाईसेंस शुल्क/दरों के लिए पूर्व लाईसेंसधारी सहमत न हो तो ऐसी दशा में उसकी स्थान परिवर्तन के आधार पर प्राथमिकता समाप्त कर दी जावेगी एवं नये स्थान का लाईसेंस भी निर्धारित प्रक्रिया से निविदाये आमन्त्रित कर आवंटन किया जावेगा। ऐसी स्थिति में यदि लाईसेंसी उचित समझे तो एक माह का नोटिस देकर बिना किसी उत्तर दायितव के लाईसेंस समाप्त कर सकेगा।
- 6- लाईसेंसी मासिक लाईसेंस फीस के प्रतिवर्ष (वर्ष आवंटन दिनांक से माना जावेगा) 12 अग्रिम पोस्ट डेटेड चैक जो प्रत्येक माह की 07 तारीख को देय होंगे, देगा। माह की 07 तारीख तक लाईसेंस फीस जमा नहीं कराने अथवा लाईसेंस की किसी शर्त का पालन करने में असमर्थ रहने पर आगारीय समिति 48 घन्टे का नोटिस जारी कर लाईसेंस निरस्त कर सकेगी। लाईसेंस निरस्त करने/वापिस लिये जाने पर लाईसेंसी निगम परिसर को 24 घन्टे में खाली कर उसका कब्जा निगम के सक्षम अधिकारी को देगा। ऐसा नहीं किये जाने पर निगम के सक्षम अधिकारी परिसर में प्रवेश कर दुकान/स्टाल का कब्जा ले लेगा और स्टाल के ताला लगा दिया जावेगा।
- 7- लाईसेंसी स्वयं के खर्चे पर संबंधित विभाग से बिजली, पानी का कनेक्शन प्राप्त करेगा व उसका स्वयं भुगतान वहन करेगा। अनुबन्ध समाप्त होने पर आगारीय समिति संबंधित विभाग को कनेक्शन बन्द करने लिए सूचित करेगा।
- 8- आवंटित दुकान/खाली स्थान पर लाईसेंसी मादक पदार्थ जैसे शराब, वीयर, अफीम, गांजा, चरस, व सरकार द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ न तो रखेगा और न ही बेचेगा।

- 9- लाईसेंसी अपना व्यवसाय आवंटित स्थान सीमा में ही कर सकेगा।
- 10- लाईसेंसी विक्रय किये जाने वाले पदार्थों की मूल्य सूची आगारीय समिति से अनुमोदन कराकर दुकान/स्टाल पर लगायेगा, जिसे यात्री सुगमता से पढ़ सके। लाईसेंसी आवंटित दुकान/स्टाल में किसी तरह का परिवर्तन/मरम्मत नहीं करा सकेगा।
- 11- निगम द्वारा लाईसेंसी को 15 दिन का लिखित नोटिस देकर लाईसेंस को निरस्त करने का अधिकार होगा। जिसके लिए कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
- ✓ 12- यदि लाईसेंसधारी स्वयं अपना लाईसेंस चालू नहीं रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व उसकी सूचना आगार प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी। तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बंद करने पर उसकी पूर्व में जमा सुरक्षा राशि जब्त करली जावेगी।
- 13- दुकान / स्टाल / बूथ का लिया गया लाईसेंस अहस्तान्तरित योग्य होगा व सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
- 14- अनुबन्ध के कियान्वयन शर्तों एवं अनुबन्ध के निर्विचन के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए परिवहन निगम के अध्यक्ष एकमात्र पंच निर्णायक होंगे जिनका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिए प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे। उक्त दोनों पक्ष यह जानते हैं कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी है एवं उनको ही एकल पंच निर्णायक के लिए सहमति व्यक्त करते हैं। पंच निर्णायक/न्यायालय का कार्य क्षेत्र/कार्य स्थल जयपुर होगा।
- 15- लाईसेंसी के विरुद्ध किसी भी तरह की बकाया राशि होने की स्थिति में उसकी जमा सुरक्षा राशि में से राशि समायोजित कर ली जावेगी, जो लाईसेंसी द्वारा दो दिवस में बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुनः निगम कोष में जमा करानी होगी। ऐसे नहीं करने पर आगारीय समिति लाईसेंस निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर अन्य योग्य फर्म को लाईसेंस दे दिया जावेगा।
- 16- लाईसेंसी द्वारा निगम से समय समय पर जारी आदेश/ शर्तों का पालन किया जावेगा अन्यथा आगारीय कमेटी को लाईसेंस निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इससे होने वाली हानि के लिए लाईसेंसी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 17- दुकान/ स्टाल/ बूथ पर गुणवत्ता पदार्थों का ही विक्रय किया जा सकेगा।
- 18- लाईसेंसी द्वारा किये जा रहे व्यवसाय पर सरकार द्वारा कोई कूर आदि का निर्धारण किया जाता है तो वह लाईसेंसी द्वारा ही सीधे संबंधित विभाग में जमा कराया जावेगा।
- 19- यात्रियों की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि लाईसेंसधारी के अलावा उसी आईटम का लाईसेंस उसी प्लेटफार्म पर अन्य फर्म को जारी कर सकेगा। लाईसेंसधारी को इस बारे में किसी भी तरह का एतराज उठाने का अधिकार नहीं होगा।

20- यदि निविदा दाता के निविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाते हैं तो निविदा दाता को लाईसेंस प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र मुख्य प्रबन्धक के कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे :-

1. निविदादाता के नाम पर जो भी चल एवं अचल संपत्ति है उनके प्रपत्रों की प्रमाणित छाया प्रति अथवा स्वयं के नाम पर कोई चल एवं अचल संपत्ति नहीं है तो उसके गारंटर की चल एवं अचल संपत्ति के प्रपत्रों की प्रमाणित फोटो प्रति ।
2. निविदादाता के नाम पते के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति । (पुष्टि में मतदाता परिचय पत्र/ वर्तमान ड्राइविंग लाईसेंस की प्रति, पैन कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न की प्रमाणित फोटो प्रति) ।
3. निविदादाता अथवा निविदादाता के गारंटर को 100/- रुपये के भारतीय गैर न्यायाधिक स्टाम्प पर यह शपथ पत्र भी देना होगा कि जब तक वह निगम का लाईसेंस रहेगा तब तक बिना निगम अनुमति वह अपनी चल एवं अचल संपत्ति का विक्रय नहीं करेगा । यह शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक ओथोरिटी द्वारा सत्यापित होगा ।

21- निविदा प्रस्ताव सील बन्द लिफाफे में प्रेषित किये जावेंगे ।

22- निविदा प्रस्ताव सरल एवं शुद्ध भाषा में होंगे तथा किसी प्रकार की कांट-छांट ना हो । प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत भी लिखे ।

23- निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होंगे ।

24- यदि किसी भी संस्थान/व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा ।

25- यदि किसी भी संस्थान/व्यक्ति/फर्म के विरुद्ध निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा ।

27- संलग्न घोषणा पत्र को भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करें ।

28- मैंने उपरोक्त शर्तों की पढ़कर, समझकर, सुनकर मैंने हस्ताक्षर किये हैं । उक्त शर्तें मुझे स्वीकार हैं ।

अन्त - 29 अन्तः राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर निविदा फीस पर लगाये कर (GST) का भुगतान आयोजित फीस के अतिरिक्त होगा

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर